बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक – वि० प्रा० (II) विविध–31/2025/ 141 **/पटना, दिनांक–** 08/01/2026

प्रेषक,

अहमद महमूद,
अपर सचिव–सह–निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
सीतामढ़ी अभियंत्रण महाविद्यालय, सीतामढ़ी/भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर/सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा/सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल/राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, मुंगेर एवं बी०पी० मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा।

विषय – अंशकालीन पीएच०डी० में नामांकन हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना से अंशकालीन पीएच०डी० (सत्र–2024–25) में नामांकन लिये जाने के लिए सूची में अंकित सहायक प्राध्यापकों को निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र०सं०	**सहायक प्राध्यापक का नाम**	**पदनाम/संकाय**	**पदस्थापित संस्थान का नाम**
1	2	3	4
1.	श्री सर्वजीत कुमार	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	सीतामढ़ी अभियंत्रण महाविद्यालय, सीतामढ़ी।
2.	श्री सुशांत कुमार	सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	सीतामढ़ी अभियंत्रण महाविद्यालय, सीतामढ़ी।
3.	श्री ऋषभ प्रकाश	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	सीतामढ़ी अभियंत्रण महाविद्यालय, सीतामढ़ी।
4.	श्री धर्मवीर कुमार	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	सीतामढ़ी अभियंत्रण महाविद्यालय, सीतामढ़ी।
5.	श्री अमित कुमार सिंह	सहायक प्राध्यापक (विद्युत)	भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर।
6.	श्री रौशन कुमार	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर।
7.	श्रीमती पुष्पलता पूजा	सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा।
8.	श्री सौरभ कुमार निराला	सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल।
9.	श्री ओम प्रकाश सिंह	सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल।
10.	श्री अर्जुन कुमार महतो	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल।
11.	श्री सुमित कुमार	सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	सीतामढ़ी अभियंत्रण महाविद्यालय, सीतामढ़ी।
12.	सुश्री रश्मि रानी	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, मुंगेर।
13.	श्री बब्लू कुमार	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	बी०पी० मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा।

(i.) अंशकालीन पीएच०डी० के कार्यों का निष्पादन संस्थानीय अवकाश के दिनों में हीं करेंगे। अवकाश के दिनों में भी इन शिक्षकों की आवश्यकता संस्थान में होती है तो इसकी अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। प्राचार्य इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित शिक्षकों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा प्राचार्य द्वारा की जायेगी।

(ii.) संबंधित शिक्षकों के द्वारा किये जा रहे पठन–पाठन का कार्य एवं अन्य आवंटित दायित्व बाधित नहीं होना चाहिए।

(iii.) सरकार द्वारा इस हेतु किसी प्रकार के वित्तीय भार का वहन नहीं किया जायेगा।

(iv.) अवकाश अवधि का यह तात्पर्य नहीं है कि रविवार को संस्थानीय अवकाश मानते हुए शनिवार और सोमवार को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहेंगे।

(v.) अंशकालीन पीएच०डी० पूरा करने के उपरांत 05 (पॉच) वर्ष तक विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बीच में सेवा छोड़ने पर 20 (बीस) लाख रूपये सरकारी कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।

(vi.) अंशकालीन पीएच० डी० करने की अवधि में विशेष परिस्थिति को छोड़ कर अन्य अवकाश एवं शिशु देखभाल अवकाश का उपभोग नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन

8/1/26

(अहमद महमूद)
अपर सचिव–सह–निदेशक।

राहुल / 08.01.2026 / D:\DST_2025\joint secretary S-Sidharth